राजनीतिक दलों की सार्थकता पर चर्चा

वर्तमान समय में लोकतंत्र को एक तार्किक एवं अच्छे प्रकार की शासन व्यवस्था माना जाता है। इसके अंतर्गत शासन संचालन में एक-एक नागरिक की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में एक राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग नहीं ले सकती। अतः वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसा करती है।

हम जानते हैं कि दृष्टिकोण, मत, विचार, मूल्य, मान्यताएँ, आस्थाएँ, विभिन्न मुद्दों को क्रम देने का तरजीह (preference) इत्यादि के मामले में सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग-अलग होता है। लेकिन विचारों में थोड़ा-बहुत अंतर होने के बावजूद कुछ मुख्य बातों पर समानता रखने वाले लोग मिलकर एक राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि देश को आगे बढ़ने का एक निश्चित रास्ता मिल जाता है। देश किस दिशा में आगे बढ़े; हर राजनीतिक दल इसके लिए जनता के समक्ष अपनी योजनाएँ रखते हैं। जनता जिस पार्टी को जीत दिलाती है, वह अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार व देश चलाती है। और जो पार्टी सरकार में शामिल नहीं हो पाती, वह कम महत्वपूर्ण नहीं होती। इनके जन-प्रतिनिधि विपक्ष के रूप में सरकार की कमियों को निरंतर उजागर करते रहते हैं।

इस प्रकार, एक राजनीतिक दल ऐसा संगठन होता है जिसमें समान विचार वाले लोग शामिल होते हैं और लोकतांत्रिक तरीकों द्वारा शासन पर प्रभुत्व पाना चाहते हैं ताकि राष्ट्र को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें।

देखा जाए तो लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दलों की उपस्थिति एक व्यावहारिक उपाय है। व्यक्ति समूह अथवा संगठनों के माध्यम से स्वयं को ज्यादा अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। कहा भी जाता है कि संगठन में शक्ति होती है।

राजनीतिक दलों के माध्यम से एक प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्तियों को एक मंच मिल जाता है। यहाँ से वे जनता की आवाज को तीव्रता प्रदान करते हैं। सरकार को जनता की मांगों से अवगत कराते हैं।

शासन की स्वेच्छाचारिता को रोकने में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। वे सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। विपक्ष के मौजूद रहने से किसी प्रस्तावित विधेयक की कमियों को उजागर किया जा सकता है। वाद-विवाद के माध्यम से एक अच्छे कानून का निर्माण संभव हो पाता है।

राजनीतिक दलों के माध्यम से आपस में सहयोग, सहिष्णुता और उदारता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। एक दल के कार्यकर्ता या सदस्य हर मामले में शत-प्रतिशत एकमत नहीं होते। फिर भी, एक श्रेष्ठ उद्देश्य को पाने के लिए वे एकता का प्रदर्शन करते हैं। थोड़ी-बहुत मत-भिन्नता के बावजूद वे मिलकर कार्य करते हैं।

ये राजनीतिक दल ही हैं, जो मीडिया आदि के माध्यम से नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों की जानकारी देते हैं। इससे नागरिकों की 'राजनीतिक भागेदारी' बढ़ती है। यह लोकतंत्र की सफलता का एक अनिवार्य तत्व है।

राजनीतिक दल सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के

काम भी करते हैं। नारियों, दलितों का उत्थान; स्वच्छता, पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर अधिकांश राजनीतिक दल जागरूकता का प्रसार करते नजर आते हैं।

इसप्रकार, राजनीतिक दल सरकार में शामिल हों अथवा नहीं, लेकिन जनता की आवाज को उठाने में हमेशा सहायक सिद्ध होते हैं।

लेकिन आलोचक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की स्थापना में एक बाधा मानते हैं। एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के चलते व्यक्ति दल की हर बात का समर्थन करता है। उसे अलग-थलग पड़ने का डर होता है, इसलिए वह पार्टी की 'हाँ में हाँ' मिलाने की आदत डाल लेता है। इससे उसकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता की स्वतंत्रता का भी ह्रास होता है। व्यक्ति देशभक्ति के स्थान पर 'दलभक्ति' करने लग जाता है। इससे राष्ट्रहित को क्षति पहुँचती है।

व्यवहार में राजनीतिक दलों द्वारा 'येन-केन-प्रकारेण' चुनाव जीतने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के साधनों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। नैतिकता-अनैतिकता को ताक पर रखकर इनका उद्देश्य किसी तरह सत्ता प्राप्त करना रह गया है। अगर सत्ता पक्ष देशहित में सही निर्णय लेती है, तब भी विपक्षी पार्टी उस निर्णय का विरोध करते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है मानों दलीय प्रणाली ने व्यक्ति की नैतिकता व तार्किकता जैसे श्रेष्ठ मूल्यों को छीन लिया है।

वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अधिकांश अच्छे चरित्र वाले लोग दलगत राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते। क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्षीगण उन पर कई गलत आरोप लगाना शुरू कर देंगे और उनकी साफ

उजो खुद को निर्दोष साबित करने में लग जाएगी। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे माध्यमों के सहारे एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की छवि बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इसके लिए बाकायदा एक टीम खड़ी की जाती है जिसका कार्य होता है, चौबीस घंटे विरोधी पार्टी का 'फेक न्यूज' के माध्यम से दुष्प्रचार करना।

राजनीतिक दलों की एक यह भी कमी देखने को मिलती है कि ये वोट हासिल करने के लिए समाज को बाँटने को तैयार रहते हैं। ये किसी खास वर्ग का वोट हासिल करने के लिए 'तुष्टिकरण की नीति' अपनाते हैं। उस वर्ग का अन्ध समर्थन करने लगते है, जिससे उनका 'वोट बैंक' बढ़े। इस तरह ये 'वर्गीय हित' को बढ़ाने के चक्कर में 'राष्ट्र हित' को क्षति पहुँचाते हैं।

राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े व्यवसायियों से धन प्राप्त करते हैं, और बदले में चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करने पर उन व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करते हैं। इसीप्रकार बड़े-बड़े अपराधी भी इन राजनीतिक दलों को काला धन मुहैया कराते हैं और बदले में, भविष्य में सत्ता प्राप्ति होने पर इनसे अपनी सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। कई राजनीतिक दल तो चुनाव में सफलता के लिए अपराधियों को ही टिकट दे देते हैं ताकि वे अपने हिंसा बल व धन के बल से पार्टी की सीटें बढ़ा सकें। ऐसे में राजनीतिक दलों की सार्थकता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

ऊपरी तौर पर देखने से तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के हिमायती हैं, लेकिन अक्सर

उनके भीतर ही अलोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लिए जाते हैं। जैसे, कई बार देखा जाता है कि एक राजनीतिक दल के शीर्ष पदों पर एक ही परिवार के लोगों का प्रभुत्व रहा है।

अंत में, राजनीतिक दलों से जुड़े गुण-दोषों के देखने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि निःसंदेह राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र अपने व्यावहारिक स्वरूप को प्राप्त कर पाया है। देश में विविध प्रकार के राजनीतिक दलों का एक साथ अस्तित्व में रहना इस बात को इंगित करता है कि देश में सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्य विद्यमान हैं। अतः कुछ कमियों के चलते राजनीतिक दलों को समाप्त करने के विचार को सही नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि किसी चाकू का प्रयोग सब्जी बनाने में किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने में भी। ठीक उसी प्रकार, राजनीतिक दल अपने-आप में बुरे नहीं होते। उनमें किस प्रकार की सोच वाले लोग शामिल हैं? इससे उनकी सार्थकता तय होती है। अगर अच्छे स्वभाव वाले लोग राजनीति में कदम रखेंगे, अगर जनता उत्तम चरित्र वाले लोगों को अपना नेता स्वीकार करेगी, तो राजनीतिक दलों में आयी कमियाँ अपने-आप समाप्त हो जाएंगी।

राजनीतिक दल चंदा किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं और इनके आय-व्यय का भी ठीक प्रकार से हिसाब लिया जाना चाहिए।

यह नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी राजनीतिक समझ (ज्ञान) बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर न रहें; उनकी बातों को ज्यों-का-त्यों न स्वीकार करें। इसकी बजाए तथ्यों का अवलोकन करें, तभी वे अपने मताधिकार का सार्थक प्रयोग कर पाएंगे।

इसके अलावा, राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त 'आचार संहिता' को लागू करने की आवश्यकता है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

Political Science

BA (Hons.) Part (II)

Paper (3) Indian Political system.

Unit [स - 3] Indian Political Parties.

Sheo Vivek,
Assistant Professor,
Shershah College,
Sasaram (Bihar)